

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह सिंधु व प्रतिवादी 1,2 की तरफ से श्री शमषेर सिंह सिंधु अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 11/12/21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी को चक 7 आर.पी.बी' तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 34/30, खाता शिशपाल, जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के पत्थर नम्बर 168/356 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 8, 9, 10/2/.228, 12/1/.025, 13 ता 15 कुल 1.518 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किये किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन ) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 11/12/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

सत्यामेव जयते  
Web Copy - Not Official

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ़

मिलान किया